न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक, सांभर लेक, जिला जयपुर।

पीठासीन अधिकारी	:	**अरविन्द कुमार जांगिड़** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
फौजदारी अपील संख्या	:	09/2025
सी.आई.एस. नम्बर	:	09/2025

रामस्वरूप पुत्र घासीराम, निवासी नाड़ा वाला ढ़ाणी, आईदान का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

---अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, सांभरलेक

2. रामकुंवार पुत्र लादूराम निवासी लेसवों की ढ़ाणी, दीपपुरा पुलिस थाना जोबनेर जिला जयपुर।

---प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण

दाण्डिक अपील विरुद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 13.10.2023
प्रदत्त श्री विकास कुमार स्वामी, आर.जे.एस.
न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ रेनवाल
प्रकरण संख्या — 90/2020
उनवानी रामकुंवार बनाम रामस्वरूप
अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री अजय सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त।
2. श्री उमाशंकर व्यास, विद्वान् अपर लोक अभियोजक वास्ते सरकार।
3. श्री हनुमान जाखड़, विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी/परिवादी

निर्णय

दिनांक : 15.06.2026

1. अपीलार्थी/अभियुक्त रामस्वरूप ने उनवानी प्रकरण फौजदारी प्रकरण संख्या 90/2020 बउनवानी रामकुंवार बनाम रामस्वरूप में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ रेनवाल द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 13.10.2023 से व्यथित होकर उक्त अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय में सुविधा की दृष्टि से आगे **अपीलार्थी/अभियुक्त रामस्वरूप** को **अभियुक्त** एवं **प्रत्यर्थी/परिवादी रामकुंवार** को **परिवादी** के नाम से भी सम्बोधित किया जा रहा है।

3. अपील से संदर्भित प्रकरण के **तथ्य संक्षेप** में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामकुंवार ने एक परिवाद दिनांक 16.01.2020 को अपराध अन्तर्गत धारा

138 एन.आई.एक्ट का न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ रेनवाल में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य अच्छी जान–पहचान है। अभियुक्त ने परिवादी से जमीन के सौदे की राशि का भुगतान करने के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर दिनांक 02.08.2019 को परिवादी से 13,00,000/– रूपये नकद ग्राम लेसवा की ढ़ाणी, दीपपुरा में उधार लिये व उक्त राशि तीन माह में वापस लौटाने का इकरार करते हुए उक्त राशि की अदायगी पेटे अभियुक्त ने यूको बैंक शाखा झोटवाड़ा, जयपुर के अपने खाते के तीन अग्रिम तारीखों के क्रमशः चैक संख्या 000011 दिनांक 01.11.2019 तादादी 5,00,000/– रूपये, चैक संख्या 000012 दिनांक 06.11.2019 तादादी 4,00,000/– रूपये व चैक संख्या 000013 दिनांक 13.11.2019 तादादी 4,00,000/– रूपये के ग्राम लेसवा की ढ़ाणी, दीपपुरा पुलिस थाना जोबनेर में जारी कर विश्वास दिलाया कि अगर निश्चित समय में उक्त राशि अदा न करूं तो उक्त राशि पेटे दिये गये चैकों को बैंक में लगाकर राशि वसूल करने का अधिकार होगा। अभियुक्त द्वारा उक्त उधार ली गई राशि निश्चित अवधि में अदा न करने पर अभियुक्त द्वारा उक्त राशि की अदायगी पेटे जारी किये गये चैकों में से चैक संख्या 000012 तादादी 4,00,000/– रूपये दिनांकित 06.11.19 को दिनांक 21.11.2019 को अभियुक्त के निर्देशानुसार परिवादी ने अपने बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादवा में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, किंतु अभियुक्त के खाते में चैक में वर्णित पर्याप्त राशि न होने के कारण कथित चैक को डिस्ऑनर कर मैमोरेण्डम सहित आपके खाते में ''Funds insufficient'' होने के कारण लौटा दिया और कथित चैक का भुगतान परिवादी को नहीं हुआ। उक्त सूचना संबंधित बैंक के द्वारा मेमोरण्डम के जरिये परिवादी को दिनांक 22.11.2019 को प्राप्त हुई। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के अनादरित होने के पश्चात् परिवादी के अधिवक्ता ने अभियुक्त के निवास स्थान के पते पर दिनांक 06.12.2019 को कानूनी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाया, जिसकी सूचना अभियुक्त को हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा नोटिस की जानकारी हो जाने के उपरांत भी परिवादी को उक्त चैक की राशि नोटिस में वर्णित निर्धारित समयावधि 15 दिवस में नहीं लौटायी। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अनादरित चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया.......... आदि।

4. उक्त परिवाद पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2020 को अपीलार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

5. अपीलार्थी / अभियुक्त को नियमानुसार तलब किये जाने के उपरान्त अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उक्त अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

6. **साक्ष्य परिवादी** में परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं को पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 असल चैक, प्रदर्श पी 2 रसीद, प्रदर्श पी 3 चैक रिटर्न मेमो, प्रदर्श पी 4 विधिक नोटिस, प्रदर्श पी 5 रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीद व प्रदर्श पी 6 ऑनलाईन डिलीवर रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये।

7. अभियुक्त को **धारा 313 दं.प्र.सं.** के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना व्यक्त करते हुए उसके द्वारा कोई पैसा नहीं लेना व ना ही चैक देने व परिवादी द्वारा उसे कमरे में बंद कर जबर्दस्ती हस्ताक्षर कराने, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने का कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। किंतु तदुपरांत अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया। इस प्रकार इस प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से साक्ष्य सफाई (प्रतिरक्षा साक्ष्य) प्रस्तुत नहीं हुई है। परिवादी की प्रतिपरीक्षा के दौरान अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 जवाब नोटिस, प्रदर्श डी 2 पोस्ट ऑफिस रसीद व प्रदर्श डी 3 अभियुक्त के पिता घासीराम द्वारा परिवादी के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. संख्या 356 / 2019 पुलिस थाना जोबनेर में प्रस्तुत आरोप—पत्र व न्यायालय की आदेशिका को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया।

8. तत्पश्चात् **बहस अंतिम** सुनी जाकर, विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.10.2023 को निम्न निर्णय / दण्डादेश पारित किया कि —

"फलतः अभियुक्त रामस्वरूप कुमावत पुत्र घासीराम कुमावत निवासी नाड़ा वाली ढ़ाणी, आईदान का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की दोषसिद्धि में निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है —

अभियुक्त को 01 वर्ष (एक वर्ष) का साधारण कारावास एवं 5,00,000 रूपये (अक्षरे पांच लाख रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि उसकी मूल सजा में धारा 428 द.प्र.सं. के तहत समायोजित की जावें। अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार किया जावें। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थित बाबत् प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। अर्थदण्ड की राशि धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा की जावें। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें।''

9. विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय/दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है।

10. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. **बहस** के दौरान **विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त** ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह निवेदन किया कि प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराये गये धारा 138 एन.आई.एक्ट के परिवाद में विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया गया है तथा परिवादी के द्वारा अभियुक्त के गलत पते पर नोटिस भेजकर उसके आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया गया है। प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 3 पर बैंक अधिकारी के कोई हस्ताक्षर व सील नहीं है तथा उक्त रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 3 कम्प्यूटर से निकाली गई प्रति है जो प्रदर्शित होने के बावजूद साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा विधि के प्रावधान के अनुसार पठनीय नहीं है तथा न ही उक्त रिटर्न मेमो के विधिवत् रूप से जारी करने के संबंध में किसी बैंक अधिकारी/प्राधिकारी का कोई धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, न ही बैंक अधिकारी को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है जिससे उक्त रिटर्न मेमो किसी बैंक द्वारा जारी किया जाना प्रकट हो। इस प्रकार प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो को साक्ष्य के रूप में पढ़ा नहीं जा सकता है एवं उक्त रिटर्न मेमो के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होने से यह साबित नहीं है कि परिवादी द्वारा कथित चैक को बैंक में पेश किये जाने पर चैक अनादरित हुआ है एवं अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी को धारा 138 एन. आई.एक्ट के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार सृजित होता हो। परिवादी के द्वारा अभियुक्त को गलत पते पर नोटिस दिया गया है। प्रकरण में

अभियुक्त के द्वारा परिवादी को कथित नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख परिवादी के द्वारा परिवाद में नहीं किया गया है। उक्त जवाब नोटिस प्रदर्श डी 1 को अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार परिवादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त से चैक डरा धमका कर हस्ताक्षरित करवा कर प्राप्त किये गये है, जिस संदर्भ में परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अभियुक्त के पिता घासीराम के द्वारा परिवादी के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 356 / 19 पुलिस थाना जोबनेर में दिनांक 30.10.2019 को दर्ज कराई गई थी। उक्त एफ.आई.आर. के बाबत् प्रस्तुत आरोप—पत्र की प्रति अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई है। परिवादी द्वारा अभियुक्त को डरा—धमकाकर चैक प्राप्त कर उनका दुरुपयोग किया है तथा उक्त फौजदारी प्रकरण में परिवादी के विरुद्ध आरोप—पत्र प्रस्तुत हुआ है। अभियुक्त के पिता के द्वारा उक्त एफ.आई.आर. दिनांक 30.10.2019 को दर्ज कराई जाने के बाद परिवादी पक्ष ने निराधार तथ्यों पर यह परिवाद दिनांक 16.01.2020 को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार परिवादी के पक्ष में कायम की जाने वाली उपधारणा अंतर्गत धारा 118, 139 एन.आई.एक्ट का खण्डन अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य से किया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों व साक्ष्य का समुचित रूप से अवलोकन नहीं कर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है इस कारण आक्षेपित निर्णय / दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कथन करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 13.10.2023 को अपास्त कर अपीलार्थी / अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से अपील विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा जाहिर किया गया था कि अभियुक्त की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से उक्त निर्णय / दण्डादेश की अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी तथा प्रकरण में अपीलार्थी / अभियुक्त को सजा वारण्ट पर गिरफ्तार किये जाने के उपरांत जेल में सजा के अधीन था। तदुपरांत अपीलार्थी / अभियुक्त के द्वारा तालुका विधिक सेवा समिति के तहत अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु आवेदन किये जाने पर निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किये जाने पर अधिवक्ता की राय से अविलंब अपील प्रस्तुत की है। उक्त कथन कर अपील प्रस्तुत करते में हुये विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। बहस

के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये –

(1) Criminal Appeal No. 13704/2023 Krishnapal vs Hari Singh on 25 April, 2024 (माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय)

(2) AIR 2015 SC 180 Anvar P.V. v P.K. Basheer And Others on 18-09-2014.

(3) 2021 (2) CJ(Cri.) (SC) 524 Arjun Panditrao Khotkar vs. Kailash Kushanrao Gorantyal & Ors on 14 July, 2020

(4) 2025 INSC 399 Rekha Sharad Ushir vs Saptashrungi Mahila Nagari Sahkari Patsansta Ltd. on 26 March, 2025 (माननीय उच्चतम न्यायालय)

(5) 2007 INSC 441 Smt. J. Yashoda vs Smt. K. Shonha Rani Decided on 19.04.2007. (माननीय उच्चतम न्यायालय)

(6) SLP (Crl) No. 18045/2024 महेश सिंह बंजारा बनाम मध्यप्रेदश राज्य निर्णय दिनांक 02.01.2025 (माननीय उच्चतम न्यायालय)

(7) 2019 (1) NIJ 13 S.B. Criminal Leave to Appeal No. 94/2018 Lalit Kumar vs State of Rajasthan Through Public Prosecutor Decided on 03.07.2018 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर)

12. **विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/परिवादी** ने अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्त द्वारा जमीन के सौदे की राशि के भुगतान के लिए परिवादी से 13 लाख रूपये उधार लिये थे जिसकी एवज में अभियुक्त के द्वारा प्रकरण में विवादित चैक परिवादी को दिया गया था जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित कर लौटाये जाने पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को विधिक नोटिस दिये जाने के उपरांत भी अदायगी नहीं करने पर परिवादी के द्वारा परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त व अभियुक्त का पिता दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों को धोखा देकर उनके राशि प्राप्त कर उनकी राशि का भुगतान नहीं कर ठगी की है। परिवादी पक्ष के द्वारा इस प्रकरण के अलावा अन्य दो प्रकरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध से संबंधित पेश किए जिनमें भी अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है। अभियुक्त पक्ष के द्वारा निराधार एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। परिवादी पक्ष ने अपनी साक्ष्य से परिवाद में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित किया है जिसका कोई

खण्डन अभियुक्त पक्ष की साक्ष्य से नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा कथित रिटर्न मेमो बैंक से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिटर्न मेमो बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया हो ऐसा कोई तथ्य अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रकट नहीं किया गया है तथा बैंक द्वारा उक्त रिटर्न मेमो जारी नहीं किया गया हो इस संदर्भ में अभियुक्त के द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो अथवा बैंक द्वारा रिटर्न मेमो जारी नहीं किये जाने के संदर्भ में विवरण बैंक से प्राप्त करने का प्रयास किया गया हो ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व विचारण के दौरान ही अभियुक्त पक्ष के द्वारा उक्त रिटर्न मेमो पर प्रदर्शांकन के समय व तदुपरांत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार हस्तगत अपील में उक्त आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं है। प्रकरण में परिवादी के पक्ष में एन.आई.एक्ट की धारा 118 व 139 की उपधारणा सृजित हुई है तथा उसका कोई खण्डन अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज / साक्ष्य से नहीं हुआ है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के अवलोकन के बाद अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में समुचित रूप से दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है तथा अपीलार्थी / अभियुक्त के द्वारा अपील विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कथन करते हुए अपीलार्थी / अभियुक्त की अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

13. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अभियुक्त को समुचित रूप से दोषसिद्ध कर दण्डित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उक्त कथन कर अपीलार्थी / अभियुक्त की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

14. उभय पक्षों के तर्कों के समर्थन में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

15. प्रकरण में अपीलार्थी / अभियुक्त के द्वारा अपील आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 13.10.2023 के उपरांत परिसीमा अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना—पत्र पेश किया है जिस संदर्भ में अपीलार्थी / अभियुक्त पक्ष के द्वारा उपर वर्णितानुसार तर्क प्रस्तुत किये है, जिसका प्रत्यर्थी / परिवादी पक्ष की ओर से उपर वर्णितानुसार विरोध किया

गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष के द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी / अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SLP (Crl) No. 18045/2024 महेश सिंह बंजारा बनाम मध्यप्रदेश राज्य निर्णय दिनांक 02.01.2025 के आलोक में अपीलार्थी पक्ष के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किये गये विलंब को कण्डोन किया जाता है।

16. प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह है कि –

क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 13.10.2023 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के विपरीत विधिक व तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है अथवा नहीं ?

17. जहां तक **विवादित चैक प्रदर्श पी 1 अपीलार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रत्यर्थी / परिवादी को विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे दिये जाने का प्रश्न है** तो इस संदर्भ में परिवादी रामकुंवार पी.डब्ल्यू 1 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि उसकी व अभियुक्त में अच्छी जान–पहचान है। अभियुक्त ने उससे जमीन के सौदे की राशि का भुगतान करने के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर दिनांक 02.08.2019 को उससे 13,00,000 / – रूपये नकद ग्राम लेसवा की ढ़ाणी, दीपपुरा में इकरार करते हुए उक्त राशि की अदायगी पेटे अभियुक्त ने यूको बैंक शाखा झोटवाड़ा, जयपुर के अपने खाते के तीन अग्रिम तारीखों के क्रमशः चैक संख्या 000011 दिनांक 01.11.2019 तादादी 5,00,000 / – रूपये, चैक संख्या 000012 दिनांक 06.11.2019 तादादी 4,00,000 / – रूपये व चैक संख्या 000013 दिनांक 13.11.2019 तादादी 4,00,000 / – रूपये के ग्राम लेसवा की ढ़ाणी, दीपपुरा में जारी कर विश्वास दिलाया कि अगर निश्चित समय में उक्त राशि अदा न करूं तो उक्त राशि पेटे दिये गये चैकों को बैंक में लगाकर राशि वसूल करने का अधिकार होगा। अभियुक्त द्वारा उक्त उधार ली गई राशि निश्चित अवधि में अदा न करने पर अभियुक्त द्वारा उक्त राशि की अदायगी पेटे जारी किये गये चैकों में से चैक संख्या 000012 तादादी 4,00,000 / – रूपये दिनांकित 06.11.19 को दिनांक 21.11.2019 को अभियुक्त के निर्देशानुसार उसने अपने बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादवा में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, किंतु अभियुक्त के खाते में चैक में वर्णित पर्याप्त राशि न होने के कारण कथित चैक को डिस्ऑनर कर मैमोरेण्डम सहित आपके खाते में ''Funds insufficient''

होने के कारण लौटा दिया और कथित चैक का भुगतान उसको नहीं हुआ। इसकी सूचना संबंधित बैंक के मेमोरण्डम के जरिये उसको दिनांक 22.11.2019 को प्राप्त हुई। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के अनादरित होने के पश्चात् उसके अधिवक्ता ने अभियुक्त के पते पर दिनांक 06.12.2019 को कानूनी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाया, जिसकी सूचना अभियुक्त को प्राप्त हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा नोटिस की जानकारी हो जाने के उपरांत भी उसको उक्त चैक की राशि नोटिस में वर्णित निर्धारित समयावधि 15 दिवस में नहीं लौटायी। इस कारण आवेदन किया गया है। परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में परिवाद पत्र के साथ संलग्न प्रदर्श पी 1 असल चैक, प्रदर्श पी 2 रसीद, प्रदर्श पी 3 चैक रिटर्न मेमो, प्रदर्श पी 4 विधिक नोटिस, प्रदर्श पी 5 रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीद व प्रदर्श पी 6 ऑनलाईन डिलीवर रिपोर्ट को पेश कर प्रदर्शित कराया गया।

18. **जिरह** में गवाह का यह कथन रहा है कि वह खेती का काम करता है तथा साइड बिजनेस में कन्स्ट्रक्शन का काम करता है। उसके खेत में तीन कुएं है। उसकी महीने की कमाई लगभग 50 हजार रूपये है। रामस्वरूप ने उससे जमीन खरीदने के नाम से पैसे लिये थे। गवाह ने यह कथन किया है कि उसने रामस्वरूप को एक साथ 13 लाख रूपये दिनांक 02.08.2019 को दिये थे जिनमें 500–500 के तथा 2000–2000 के नोट थे। रामस्वरूप द्वारा दिये गये जवाब नोटिस की ऑफिस कॉपी प्रदर्श डी–1 है तथा जिसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद प्रदर्श डी–2 है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चल रहा है जिसमें वह मुलजिम है। गवाह ने इस कथन से इंकार किया कि उसने रामस्वरूप को तीन दिन तक घर में बंधक बनाकर रखा हो तथा उसने रामस्वरूप से चार खाली चैक व एक खाली स्टाम्प पर बंधक बनाकर साइन करवाये हो, बल्कि रामस्वरूप ने रूपये लेकर चैक व स्टाम्प भरकर साइन करके दिये थे। गवाह ने कथन किया कि उसके खिलाफ मारपीट बाबत् न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–3 है। उसने जो पैसे दिये थे उसके लिए लिखापढ़ी स्टाम्प कर की थी, लेकिन स्टाम्प पर गलत प्रिन्ट होने से उसे वही कैंसिल कर चैक भरकर दिये थे। प्रदर्श डी–3 मुकदमा चैक देने के तीन महीने बाद दर्ज कराया था। पहला चैक उसने दिनांक 01.11.2019 को लगाया था जो 5 लाख रूपये का था तथा दूसरा चैक दिनांक 06.11.2019 को 4 लाख रूपये का तथा तीसरा चैक दिनांक

13.11.2019 को 4 लाख रूपये का लगाया था तथा तीनों चैकों का अलग—अलग विधिक नोटिस दिया था। गवाह ने इस कथन से इंकार किया है कि उसने रामस्वरूप को घर में बंधक बनाया हो व पुलिस द्वारा रामस्वरूप को छुड़ाया हो।

19. प्रकरण में परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज **चैक प्रदर्श पी 1** अभियुक्त के कथित बैंक यूको बैंक झोटवाड़ा के खाता संख्या 22580110028650 से 4 लाख रूपये की राशि के बाबत् रामकुवार के पक्ष में दिनांक 06.11.2019 को अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया गया है, जो दिनांक 22.11.2019 को जरिये **प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो** बैंक द्वारा लौटाया जाना बताया गया है। **प्रदर्श पी 4 विधिक नोटिस** परिवादी द्वारा अभियुक्त को प्रेषित किया गया है जिसमें अभियुक्त द्वारा जमीन के सौदे की राशि का भुगतान करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से 13,00,000/— रूपये परिवादी से नकद उधार लिया जाना व चैक संख्या 000012 अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर कर प्रदत्त किये जाने व उसके अनादरित होने के संदर्भ में तथ्य वर्णित है। उक्त विधिक नोटिस को जरिये रजिस्ट्री प्रेषित किये जाने बाबत् **डाक की रजिस्ट्री प्रदर्श पी 5** पत्रावली पर है तथा अभियुक्त को प्रेषित विधिक नोटिस प्रदर्श पी 4 के संदर्भ में **ट्रैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श पी 6** प्रस्तुत की गई है।

20. प्रकरण में पैरा संख्या 17 में उपर वर्णितानुसार परिवादी पी.ड.1 रामकुंवार ने परिवाद में वर्णित तथ्यों व उक्त दस्तावेजात् की संपुष्टि में साक्ष्य प्रस्तुत की है।

21. परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा—139 में वर्णित उपधारणा के अनुसार चैक विधिक ऋण के दायित्व के पेटे दिया गया माना जावेगा जब तक चैक जारीकर्ता अन्यथा साबित न कर दे।

22. प्रकरण में प्रत्यर्थी/परिवादी पक्ष की ओर से परिवादी पक्ष की साक्ष्य का संदर्भ वर्णित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 139 एन.आई. एक्ट यह उपधारणा कायम होती है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने प्रत्यर्थी/परिवादी को चैक प्रदर्श पी—1 दिनांकित 06.11.2019 विधिक दायित्व के उन्मोचन के अनुक्रम में दिया गया था जो चैक अपीलार्थी/परिवादी द्वारा नियत समयावधि में दिनांक 21.11.2019 को अपनी बैंक में पेश किया जो चैक Funds insuficient के रिमार्क के साथ जरिये रिटर्न मेमो प्रदर्श पी—3 दिनांक 22.11.2019 बिना भुगतान के परिवादी को दिनांक

22.11.2019 को प्राप्त होने पर परिवादी द्वारा नियत समयावधि में दिनांक 06.12.2019 को जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस प्रदर्श पी 4 अपीलार्थी/अभियुक्त को जरिये रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श पी 5 भिजवाया एवं विधिक नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अपीलार्थी/परिवादी के द्वारा नियत समयावधि में सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद दिनांक 16.01.2020 को पेश किया गया है।

23. इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में परिवादी पक्ष के द्वारा साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा परिवादी को प्रदत्त कथित प्रदर्श पी 1 चैक प्रस्तुत किया गया है। विवादित प्रदर्श पी–1 चैक अपीलार्थी/अभियुक्त का न हो, एवं उक्त चैक पर अपीलार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हो, ऐसा कोई तर्क/कथन अपीलार्थी/अभियुक्त का नहीं रहा है, न ही इस संदर्भ में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत हुयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना साबित है।

24. इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत बसलिंगप्पा बनाम मुनिदबसप्पा, [(2019) 5 SCC 418 (2019) Supreme (SC)] 423 के पैरा संख्या 23 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक परिवादी को दिया जाना व प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने के तथ्य साबित होने से परिवादी के पक्ष में धारा 139 एन. आई.एक्ट की उपधारणा लागू हो जाती है कि चैक किसी ऋण या विधिक दायित्व के लिए जारी किया गया था।

25. चूंकि हस्तगत प्रकरण में चैक प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना साबित हुआ है। अतः एन.आई. एक्ट के विधिक प्रावधानों व उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित अभिमत से परिवादी के पक्ष में एन.आई.एक्ट की धारा 118 (क), 118 (छ) व धारा 139 में वर्णित उपधारणा का सृजन होता है। धारा 118 (क) के प्रावधानानुसार चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा है कि प्रत्येक परकाम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित हुई थी तथा धारा 118 (छ) के प्रावधानानुसार चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा है कि वह चैक का सम्यक् अनुक्रम धारक है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। वही धारा 139 में चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा है कि चैक धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व उन्मोचन के लिए प्राप्त किया।

अतः परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा की जाती है कि वह चैक प्रदर्श पी 1 का सम्यक अनुक्रम धारक है तथा अभियुक्त ने चैक प्रदर्श पी 1 किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु निष्पादित / हस्ताक्षरित किया।

26. धारा 118 (क), 118 (छ) व धारा 139 एन.आई.एक्ट में वर्णित उपधारणा निश्चयात्मक प्रकृति की नहीं है अपितु खण्डनीय प्रकृति की है। उक्त उपधारणाओं को खण्डित करने का भार अभियुक्त पर होता है, लेकिन यह इस प्रकृति का नहीं है जितना कि अभियोजन पर अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का होता है। अभियुक्त संभाव्यता की बाहुल्यता (Preponderance of Probability) के आधार पर उपधारणाओं को खण्डित कर सकता है। यदि अभियुक्त एक संभाव्य प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है जो विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व की विद्यमानता पर संदेह उत्पन्न करती है तो अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार हो जाता है। अभियुक्त उक्त उपधारणाओं का खण्डन प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत कर अथवा परिवादी से प्रतिपरीक्षण में पूछे गये प्रश्नों के माध्यम से कर सकता है।

27. इस प्रकार जबकि विवादित चैक पर अपीलार्थी / अभियुक्त के हस्ताक्षर होना विवादित नहीं है। न्यायिक दृष्टांत 2003 (2) डीसीआर 397 {2002 सुप्रीम (राज.) 903} सूबेदार सुमेर सिंह बनाम मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत K.N. BEENA vs MUNIYAPPAN AND ANOTHER [WLC (SC) Criminal 2002, page 105] व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत सुनिल कुमार त्यागी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य [WLC (Rajasthan) UC 2002, page 378] का संदर्भ वर्णित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां अभियुक्त के द्वारा चैक जारी किया गया हो और अभियुक्त के द्वारा उस चैक पर अपने हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया गया हो, तो उस चैक को किसी ऋण या दायित्व के लिए जारी नहीं किये जाने के तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर है।

28. प्रकरण में अधिवक्ता **अपीलार्थी / अभियुक्त का यह तर्क** रहा है कि कथित चैक अभियुक्त के द्वारा परिवादी को ऋण के दायित्व के पेटे नहीं दिया गया था, बल्कि परिवादी द्वारा कथित चैक अभियुक्त को डरा धमका कर हस्ताक्षर करवाकर लिये थे जिसके संदर्भ में अभियुक्त की ओर से प्रथम् सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस संदर्भ में चार्जशीट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उक्त एफ.आई.आर. दर्ज कराने के उपरांत उक्त चैकों का परिवादी ने दुरुपयोग कर यह प्रकरण दर्ज कराया है। जिस संदर्भ में अधिवक्ता परिवादी का कथन रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी से राशि प्राप्त कर ठगी की है तथा निराधार एफ.आई.आर. दर्ज करायी है। इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से विचारण न्यायालय के द्वारा आक्षेपित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. संख्या 356 / 2019 पुलिस थाना जोबनेर के प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप–पत्र अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में परिवादी रामकुवार के विरुद्ध पेश किया गया है।

29. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा परिवाद व साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा दिनांक 02.08.2019 को परिवादी से राशि उधार लिये जाने के तथ्य कथित किये है तथा यह कथन किया है कि दिनांक 21.11.2019 को परिवादी के द्वारा कथित चैक को बैंक में लगाये जाने पर दिनांक 22.11.2019 को अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित होकर मैमोरेण्डम सहित चैक लौटाया गया था जिस पर परिवादी के द्वारा दिनांक 06.12.2019 को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया था जो रिफ्यूज्ड होकर प्राप्त हुआ। अभियुक्त को उक्त नोटिस की जानकारी हो चुकी थी। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कथित एफ.आई.आर. दिनांक 30.10.2019 को उपर वर्णितानुसार परिवादी से राशि उधार लिये जाने की दिनांक 02.08.2019 के करीब दो माह बाद दर्ज कराया जाना प्रकट हुआ है तथा अभियुक्त के द्वारा दर्ज कराये गये फौजदारी प्रकरण में परिवादी के विरुद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का प्रस्तुत हुआ है। उक्त आरोप–पत्र प्रदर्श डी 3 के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि उक्त चार्जशीट में यह अंकन किया गया है कि अभियुक्त रामकुंवार, रामस्वरूप के रूपये मांगता था तथा चार्जशीट में परिवादी के द्वारा अभियुक्त को जबर्दस्ती बंधक बनाकर चैकों पर हस्ताक्षर कराये जाने के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी / अभियुक्त पक्ष के द्वारा उक्त तथ्यों के प्रतिकूल कोई तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किये है। प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रदर्शित कराये गये दस्तावेज प्रदर्श डी 1 जवाब नोटिस का संदर्भ में आक्षेपित निर्णय में उल्लेखित करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रदर्श डी 1 जवाब नोटिस के पैरा संख्या 3 में अभियुक्त पक्ष के द्वारा यह उल्लेखित किया है कि स्टाम्प पेपर व चैकों पर हस्ताक्षर करवाये गये थे तथा

अभियुक्त व अभियुक्त की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से बयान मुलजिम में अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने कोई पैसा नहीं लिया तथा न ही कोई चैक दिये थे। परिवादी ने उसे कमरे में बंद कर जबर्दस्ती हस्ताक्षर कराये थे, जिसकी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकार अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श डी 1 जवाब नोटिस एवं बयान मुलजिम में कथित तथ्यों में विरोधाभास होना प्रकट हुआ है तथा प्रकरण में अभियुक्त पक्ष के द्वारा दर्ज कराये गये फौजदारी प्रकरण में प्रस्तुत चार्जशीट प्रदर्श डी 3 में भी रूपयों के लेनदेन बाबत् लिखापढ़ी जोबनेर में ज्योति प्रिन्टर्स से 500/– रूपये का स्टाम्प खरीद कर किये जाने एवं रामस्वरूप को बंधक नहीं बनाये जाने व रामस्वरूप द्वारा राजीखुशी से लिखापढ़ी करना तफ्तीश में पाया जाना वर्णित किया गया है। अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 1 जवाब नोटिस में भी अभियुक्त पक्ष के द्वारा उसके चैक अनादरित नहीं होने के संदर्भ में कोई उज्र/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि परिवादी के द्वारा अभियुक्त को प्रेषित नोटिस प्रदर्श पी 4 में परिवादी के द्वारा अभियुक्त के चैक को अपर्याप्त निधि के कारण डिस्ऑनर होने के तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये गये थे। इस प्रकार प्रकरण में स्वयं अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 3 आरोप–पत्र में वर्णित निष्कर्ष के अनुसार अभियुक्त के द्वारा परिवादी से राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य प्रकट हुये है। इस प्रकार प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से नहीं हुआ है। इस प्रकार परिवादी को रूपये अदायगी के दायित्व के पेटे चैक नहीं दिये जाने व चैक डरा–धमकाकर परिवादी द्वारा प्राप्त किये जाने व अभियुक्त के चैकों का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है।

30. प्रकरण में **अपीलार्थी/अभियुक्त** के द्वारा **एक तर्क** यह प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी के द्वारा अभियुक्त के गलत पते पर नोटिस प्रेषित किया गया है। उसके आधार पर परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अभियुक्त द्वारा कथित नोटिस का जवाब प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में कोई तथ्य परिवादी ने परिवाद में उल्लेखित नहीं किए है, जिससे परिवादी का स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आना स्पष्ट है, जिसका परिवादी पक्ष की ओर से विरोध किया गया।

इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त का पता ''रामस्वरूप कुमावत पुत्र घासीराम कुमावत, निवासी नाड़ा वाली ढ़ाणी आईदान का बास तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर'' वर्णित किया गया है तथा उसी पते पर परिवादी के द्वारा नोटिस प्रेषित किये जाने के संदर्भ में प्रदर्श पी 4 नोटिस, प्रदर्श पी 5 रजिस्ट्री की रसीद व प्रदर्श पी 6 ट्रैकिंग रिपोर्ट प्रदर्शित कराये गये है। उक्त प्रदर्श पी 4 नोटिस पर वही पता वर्णित है जो परिवादी के द्वारा परिवाद में उल्लेखित किया है। अभियुक्त के द्वारा प्रकरण में जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई है उसमें प्रस्तुत वकालतनामा में वही पता वर्णित है जो परिवादी के द्वारा उक्त नोटिस पर वर्णित किया गया है तथा इस संदर्भ में अभियुक्त पक्ष के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि अभियुक्त का पता उक्त नोटिस पर वर्णित पता नहीं हो। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रदर्शित जवाब नोटिस प्रदर्श डी 01 में भी अभियुक्त के द्वारा वर्णित पता ही परिवाद व उक्त नोटिस पर उल्लेखित होना प्रकट हुआ है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत क्रीमिनल अपील नम्बर 767 / 2007 सी.सी. अलवी हाजी बनाम पालापेट्टी मोहम्मद व अन्य निर्णय दिनांक 18.05.2007 के पैरा संख्या 17 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि –

"Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can, within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under Section 138 of the Act, make payment of the cheque amount and submit to the Court that he had made payment within 15 days of receipt of summons (by receiving a copy of complaint with the summons) and, therefore, the complaint is liable to be rejected. **A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the Court** along with the copy of the complaint under Section 138 of the Act, **cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138,** by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G.C. Act and Section 114 of the Evidence Act. In our view, any other interpretation of the proviso would defeat the very object of the legislation."

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा यह कथित किया गया है कि प्रकरण में उसे नोटिस प्रदर्श पी 4 प्राप्त नहीं हुआ है तथा यह कथित किया गया है कि उक्त नोटिस प्रदर्श पी 4 गलत पते पर प्रेषित किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से नोटिस प्रदर्श पी 4 में वर्णित पते पर ही अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन / वारण्ट जारी किया गया है, जिसकी अनुपालना में अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया है। अभियुक्त ने बयान मुलजिम में भी वही पता बताया है तथा अभियुक्त द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित अभिमत के प्रकाश में प्रथम् उपस्थिति के पश्चात् कथित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करता है तो वह प्रकरण में नोटिस प्राप्त नहीं होने का तर्क नहीं उठा सकता। स्वयं अभियुक्त पक्ष के द्वारा साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया है जिसमें परिवादी के द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.12.2019 का प्रत्युत्तर अभियुक्त पक्ष के द्वारा परिवादी पक्ष को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 1 उक्त जवाब नोटिस से प्रकरण में परिवादी के द्वारा अभियुक्त पक्ष को प्रेषित किया गया नोटिस प्राप्त होने के तथ्य साबित है। इस प्रकार इस संदर्भ में अधिवक्ता अपीलार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है।

31. प्रकरण में अधिवक्ता **अपीलार्थी / अभियुक्त का एक तर्क** यह भी रहा है कि हस्तगत प्रकरण में चैक के अनादरण होने का तथ्य साबित नहीं हुआ है, क्योंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो पर बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर व बैंक की कोई मोहर व सील अंकित नहीं है तथा इस प्रकार के रिटर्न मेमो के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। परिवादी पक्ष की ओर से प्रकरण में बैंक के अधिकारी का उक्त प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो के संदर्भ में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया गया है। उक्त तर्क का परिवादी पक्ष द्वारा उपर बहस में वर्णितानुसार विरोध किया गया है।

32. इस संदर्भ में एन.आई.एक्ट की धारा 146 के प्रावधान के अनुसार बैंक के स्लिप अथवा रिटर्न मेमो, जिस पर कार्यालयी मुद्रा (प्राधिकृत चिह्न) लगी हो तथा जिस पर चैक अनादरण होने का नोट अंकित हो, को परिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय चैक अनादरण होने के तथ्य की उपधारणा करेगा। धारा 146 एन.आई.एक्ट आफिशियल मार्क के साथ जारी रिटर्न मेमो से चैक के अनादरण के संबंध में उपधारणा का सृजन करती है, जो

कि खण्डनीय प्रकृति की है, जिसका खण्डन अभियुक्त द्वारा किया जा सकता है।

33. इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया, परिवादी ने अपने साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में कथन किया है कि उसने **''प्रश्नगत चैक को दिनांक 21.11.2019 को अभियुक्त के निर्देशानुसार उसने अपने बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादवा में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, किंतु अभियुक्त के खाते में चैक में वर्णित पर्याप्त राशि न होने के कारण कथित चैक को डिस्ऑनर कर मैमोरेण्डम सहित आपके खाते में ''Funds insufficient'' होने के कारण लौटा दिया और कथित चैक का भुगतान उसको नहीं हुआ।''** परिवादी ने उक्त चैक रिटर्न मेमो को प्रदर्श पी 3 के रूप में प्रदर्शित करवाया है।

34. प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो पर ''This is a Computer Generated advice - does not require signature'' अंकित है, किंतु चैक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 3 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त दस्तावेज पर किसी भी बैंक का प्राधिकृत चिह्न (अधिकृत मुद्रा) अंकित नहीं है। उक्त चैक अनादरण मेमो प्रदर्श पी 3 पर कोई सील मोहर अंकित नहीं है। परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य शपथ–पत्र में चैक प्रदर्श पी 1 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादवा में प्रस्तुत करना बताया है। इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी 1 चैक की पुश्त पर पंजाब नेशनल बैंक आर.सी.सी., जयपुर समाशोधन दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की इन्द्राज अंकित है तथा उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि वसूली होने पर आदाता के खाते में जमा किया जावेगा, जिस पर मैनेजर भादवा के हस्ताक्षर व सील अंकित है।

35. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से चैक रिटर्न मेमो के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत "Krishnapal vs Hari Singh on 25 April, 2024 CRIMINAL APPEAL No. 13704 of 2023 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान निम्न पैरा की ओर आकर्षित किया है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि –

> 5. Having gone through the record it is found that the said document Ex- P/2 has no seal of the said bank and signature of the authority, therefore, it is in violation of guidelines issued by Reserve Bank Of India vide its letter No. RBI/2011-12/121 DPSS.CO.CHD NO.120/03.06.01/2011-12 dated

25.07.2011. The said guidelines is required to be and is hereby reproduced hereunder:-

" RBI/2011-12/121

DPSS.CO.CHD.No. 120 / 03.06.01 / 2011-12 July 25, 2011 The Chairman and Managing Director / Chief Executive Officer Al Scheduled Commercial Banks including RRBs /Urban Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ District Central Co-operative Banks

Madam/Dear Sir,

Dishonour / Return of Cheques - Need to Sign / Initial the Cheque Return Memo

Please refer to our circular DPSS. CO. CHD. No. 485 / 03.06.01 / 2010-11 dated September 1, 2010 on Dishonour / Return of Cheques - Need to Mention the 'Date of Return' in the Cheque Return Memo, wherein citing the criticality of the document in case of recourse to legal action, it has been indicated that instruments returned unpaid should have a signed / initialed objection slip on which a definite and valid reason for refusing payment must be stated, as prescribed in Rule 6 of the Uniform Regulations and Rules for Bankers' Clearing Houses (URRBCH).

Certain instances of banks not signing the Cheque Return Memos stating that the Memos are computer generated and therefore no signature is necessary, have been brought to our notice. Such practices are violation of instructions contained in Uniform Regulations and Rules for Bankers' Clearing Houses (URRBCH) which is issued under Payment and Settlement Systems Act 2007 read with Payment and Settlement Systems Regulations 2008.

Banks are, therefore, advised to strictly adhere to the instructions and sign/initial the Cheque Return Memos as laid down in Rule 6 of URRBCH.

Yours faithfully,
(Pankaj Ekka)
Deputy General Manager "

6. In view of the guidelines it can be predicated that not signing the cheque return memo by the Bankers and issuing them without any signature will be violation of the instructions contained in uniform regulations and rules of bankers. Hence the petitioner cannot be benefited by the law laid down in Guneet Bhasin (Supra). On this aspect the learned trial Court, relying upon the judgment of this Court rendered in Satyendra Tiwari (Supra) [सत्येन्द्र तिवारी बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2014 (सुप्रीम)(एम.पी.) 958 पैरा 33] opined that dishonor memo of bank without seal has no evidentiary value as a public document and it would be treated as only a mere piece of paper. The aforesaid law laid down in Satyendra Tiwari (Supra) still holds the field hence the contentions of petitioner as to accepting the endorsement memo (Ex.P/2) is evidently found without merits.

इसी संदर्भ में अभियुक्त पक्ष की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2021 (2) CJ(Cri.) (SC) 524 Arjun Panditrao Khotkar vs. Kailash Kushanrao Gorantyal & Ors on 14 July, 2020 पेश किया है जिसके पैरा संख्या 72 व 73 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है जिनमें यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि –

72. The reference is thus answered by stating that:

(a) Anvar P.V. (supra), as clarified by us hereinabove, is the law declared by this Court on Section 65B of the Evidence Act. The judgment in Tomaso Bruno (supra), being per incuriam, does not lay down the law correctly. Also, the judgment in SLP (Crl.) No. 9431 of 2011 reported as Shafhi Mohammad (supra) and the judgment dated 03.04.2018 reported as (2018) 5 SCC 311, do not lay down the law correctly and are therefore overruled.

(b) The clarification referred to above is that the required certificate under Section 65B(4) is unnecessary if the original document itself is produced. This can be done by the owner of a laptop computer, computer tablet or even a mobile phone, by stepping into the witness box and proving that the concerned device, on which the original information is first stored, is owned and/or operated by him. In cases where the “computer” happens to be a part of a “computer system” or “computer network” and it becomes impossible to physically bring such system or network to the Court, then the only means of providing information contained in such electronic record can be in accordance with Section 65B(1), together with the requisite

certificate under Section 65B(4). The last sentence in Anvar P.V. (supra) which reads as "…if an electronic record as such is used as primary evidence under Section 62 of the Evidence Act…" is thus clarified; it is to be read without the words "under Section 62 of the Evidence Act,…" With this clarification, the law stated in paragraph 24 of Anvar P.V. (supra) does not need to be revisited.

(c) The general directions issued in paragraph 62 (supra) shall hereafter be followed by courts that deal with electronic evidence, to ensure their preservation, and production of certificate at the appropriate stage. These directions shall apply in all proceedings, till rules and directions under Section 67C of the Information Technology Act and data retention conditions are formulated for compliance by telecom and internet service providers.

(d) Appropriate rules and directions should be framed in exercise of the Information Technology Act, by exercising powers such as in Section 67C, and also framing suitable rules for the retention of data involved in trial of offences, their segregation, rules of chain of custody, stamping and record maintenance, for the entire duration of trials and appeals, and also in regard to preservation of the meta data to avoid corruption. Likewise, appropriate rules for preservation, retrieval and production of electronic record, should be framed as indicated earlier, after considering the report of the Committee constituted by the Chief Justice's Conference in April, 2016.

73. These appeals are dismissed with costs of INR One Lakh each to be paid by Shri Arjun Panditrao Khotkar (i.e. the Appellant in C.A. Nos. 20825-20826 of 2017) to both Shri Kailash Kushanrao Gorantyal and Shri Vijay Chaudhary.

इसी संदर्भ में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) NIJ 13 S.B. Criminal Leave to Appeal No. 94/2018 Lalit Kumar vs State of Rajasthan Through Public Prosecutor Decided on 03.07.2018 का संदर्भ प्रस्तुत किया है।

36. उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 3 पर किसी बैंक अधिकारी के सील मोहर व हस्ताक्षर नहीं है तथा हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने प्राधिकृत बैंक अधिकारी के द्वारा कथित रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 3 जारी करने बाबत् धारा 65 बी का प्रमाण—पत्र पेश नहीं किया है तथा न ही बैंक अधिकारी को बतौर साक्षी परीक्षित कराया है। अतः उक्त विधिक प्रावधानों व माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार परिवादी के पक्ष में धारा 146 एन.आई.एक्ट के तहत चैक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 3 से चैक प्रदर्श पी 1 के अनादरण होने के तथ्य की उपधारणा का सृजन नहीं

होता है।

37. इस संदर्भ में विद्वान् अधिवक्ता परिवादी का तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा कथित रिटर्न मेमो बैंक से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिटर्न मेमो बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया हो ऐसा कोई तथ्य अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रकट नहीं किया गया है तथा बैंक द्वारा उक्त रिटर्न मेमो जारी नहीं किया गया हो इस संदर्भ में अभियुक्त के द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो अथवा बैंक द्वारा रिटर्न मेमो जारी नहीं किये जाने के संदर्भ में विवरण बैंक से प्राप्त करने का प्रयास किया गया हो ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व विचारण के दौरान ही अभियुक्त पक्ष के द्वारा उक्त रिटर्न मेमो पर प्रदर्शांकन के समय व तदुपरांत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

38. इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि परिवादी ने दिनांक 02.08.2019 को अभियुक्त को राशि 13,00,000/– रूपये अदा किये जाने व उसकी एवज में अभियुक्त द्वारा कथित चैक परिवादी को दिये जाने के कथन किये है तथा अभियुक्त के द्वारा निश्चित अवधि में उक्त राशि की अदायगी नहीं करने पर उक्त चैक समाशोधन हेतु बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के बैंक खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चैक अनादरित होकर बैंक के मेमोरेण्डम के जरिये सूचना प्राप्त होने व तदुपरांत परिवादी द्वारा अभियुक्त को विधिक नोटिस प्रेषित किये जाने व नोटिस के बावजूद अदायगी नहीं करने पर परिवादी के द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने के कथन किये है जिन तथ्यों को परिवादी ने साक्ष्य से साबित किया है। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो पर बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं होने बाबत् उपर वर्णितानुसार तर्क प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलुरु के द्वारा हाल ही में न्यायिक दृष्टांत Jagadish R Vs SRI B S RAV CRIMINAL REVISION PETITION No.1081/ 2018 Decided on 16.04.2026 के पैरा संख्या 27, 28, 29, 31, 32, 33 व 34 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

27. **In view of the electronic clearance, the seal and signature is not mandatory and therefore, seal and signature, official mark etc., on Ex.P.2 cannot be a ground to reject the complaint.**

28. **Since the complainant enjoys the presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881, if at all the accused is of the opinion that bank endorsement vide Exhibit P-2 is incomplete or incorrect, he could have summoned his banker to establish that he had sufficient money in his account and the cheque was not presented to his banker at all for collection.**

29. **Therefore, the ground that in view of Section 146 of the Negotiable Instruments Act, 1881, complaint is not maintainable, cannot also be countenanced in law.**

31. What is the probative value of cheque return memo after electronic clearance system has been adopted by the banks was subject matter for decision before the Hon'ble Delhi High Court.

32. In the case of **Guneet Bhasin vs. State (NCT of Delhi) reported in 2022 SCC OnLine Del 3967**, at paragraph-9, it has been held as under:

> "9. **The cheque return memo is a memo informing the payee's banker and the payee about the dishonour of a cheque.** When the cheque is dishonoured, the drawee bank immediately issues a cheque return memo to the payee's banker mentioning the reason for non-payment. The purpose of the cheque return memo is to give the information of the holder of the cheque that his cheque on presentation could not be encashed due to the variety of reasons as mentioned in the cheque return memo. As per the section 146 of the NI act, the cheque return memo on presentation presumedthe fact of dishonour of the cheque unless and until such fact is disapproved. Neither section 138 nor the section 146 of the NI act has prescribed any particular form of cheque return memo. **The section 138 of the NI Act does not mandate any particular form of cheque return memo which is nothing but a mere information given by the Banker of the due holder of a cheque that the cheque has been returned as unpaid. If the cheque return memo is not bearing any official stamp of the bank, it does not render the cheque return**

memo as invalid or illegal. The cheque return memo is not a document which is not required to be covered under section 4 of the Bankers Book (Evidence) Act, 1891. If there is any infirmity in the cheque return memo, it does not render entire trial under section 138 of the NI Act as nullity."

33. Similar view is also taken by Hon'ble High Court of Calcutta in the case of **Pravin Kumar Tiwari V. Ajit Chandra Mandal, reported in 2025 SCC OnLine Cal 779.**

34. **Moreover, if sufficient money was available in the account of the revision petitioner and the bank has wrongly dishonoured the cheque, soon after receipt of the notice or at least on first appearance, as a bonafide drawer of the cheque, accused could have repaid the amount covered under Ex.P-1.**

उक्त अभिमत व्यक्त करते हुए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की दोषसिद्धि को यथावत रखने का आदेश दिया गया है।

39. उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलुरु ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Pravin Kumar Tiwari V. Ajit Chandra Mandal CRA (SB) 30/2023 2025 Supreme (Cal) 995 Decided on 28.01.2025 का संदर्भ उल्लेखित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत (प्रवीण कुमार तिवाड़ी बनाम अजीतचन्द्र) के पैरा संख्या 9 व 10 में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

9. **On perusal of section 146 of the N.I. Act it is very much clear that the said provision has been incorporated in the statute to verify the fact as to whether the cheque was produced before the bank and was dishonoured on that particular ground or not. In the present case as I have already stated that exhibit-2 clearly states that the cheque got dishonored on the ground of "exceeding arrangements". Since the aforesaid cheque return memo was electronically generated and since it was issued by the bank, it is beyond the control of the complainant, if the bank authority does not put signature or seal on the said cheque return memo. Section 146 of the N.I. Act does not prescribe any**

particular form of cheque return memo and the cheque return memo is not a document which is required to be covered under section 4 of the Bankers Book (Evidence) Act, 1891 and as such even the cheque return which is merely an intimation, does not bear seal of the bank, it does not render the cheque return memo as invalid or illegal.

10. A co-ordinate bench of Delhi High Court in Guneet Bhasin Vs. State of NCT of Delhi and others, reported in 2022 SCC Online Del 3967 held on a similar context as follows:-

> "9. **The cheque return memo is a memo informing the payee's banker and the payee about the dishonour of a cheque. When the cheque is dishonoured, the drawee bank immediately issues a cheque return memo to the payee's banker mentioning the reason for non-payment. The purpose of the cheque return memo is to give the information of the holder of the cheque that his cheque on presentation could not be encashed due to the variety of reasons as mentioned in the cheque return memo. As per the section 146 of the NI act, the cheque return memo on presentation presumed the fact of dishonour of the cheque unless and until such fact is disapproved. Neither section 138 nor the section 146 of the NI act has prescribed any particular form of cheque return memo. The section 138 of the NI Act does not mandate any particular form of cheque return memo which is nothing but a mere information given by the Banker of the due holder of a cheque that the cheque has been returned as unpaid. If the cheque return memo is not bearing any official stamp of the bank, it does not render the cheque return memo as invalid or illegal. The cheque return memo is not a document which is not required to be covered under section 4 of the Bankers Book (Evidence) Act, 1891. If there is any infirmity in the cheque return memo, it does not render entire trial under section 138 of the NI Act as nullity."**

40. उक्त अभिमत व्यक्त करते हुए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित करने का आदेश दिया है तथा अभियुक्त को विचारण न्यायालय के समक्ष सजा भुगतने हेतु आत्मसमर्पण करने बाबत् निर्देशित किया गया है।

41. हस्तगत प्रकरण में उपर वर्णितनुसार प्रदर्श पी 1 चैक की पुश्त पर समाशोधन संबंधित बैंक के इन्द्राज व बैंक मैंनेजर के हस्ताक्षर होना जाहिर हुआ है तथा उक्त चैक पर पंजाब नेशनल बैंक, भादवा की सील लगी हुई है तथा प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो पर पंजाब नेशनल बैंक प्रिन्ट है तथा उसमें भादवा हस्तलिखित होना जाहिर हुआ है।

42. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के समय प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो को दिनांक 17.09.2022 को प्रदर्शित कराया गया है जिसके प्रदर्शांकन के समय कोई आपत्ति अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है तथा परिवादी से अभियुक्त पक्ष के द्वारा की गई जिरह में भी प्रदर्श पी 3 रिटर्न मेमो के संबंध में कोई प्रश्न/सुझाव अभियुक्त पक्ष के द्वारा परिवादी से नहीं पूछा गया/दिया गया तथा कथित रिटर्न मेमो के संदर्भ में अभियुक्त पक्ष के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त रिटर्न मेमो के बाद बैंक अधिकारी को अपनी प्रतिरक्षा में अथवा न्यायालय से तलब करवाकर प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। इस प्रकार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय व माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित अभिमत के प्रकाश में अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा रिटर्न मेमो प्रदर्श पी 3 में बैंक प्राधिकारी की सील व हस्ताक्षर नहीं होने से कथित चैक के अनादरण होने के तथ्य प्रकट नहीं होने एवं परिवादी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार सृजित नहीं होने बाबत् प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से अभियुक्त पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

43. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 138 एन.आई.एक्ट को साबित करने में अपीलार्थी/परिवादी सफल

रहा है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत निर्णय पारित कर अपीलार्थी / अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दोषसिद्ध करने में किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है। अतः विद्वान् विचारण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.23 के द्वारा अपीलार्थी / अभियुक्त रामस्वरूप के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में की गई दोषसिद्धि के निर्णय व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत पारित दण्डादेश पुष्ट किये जाने योग्य है, तथा अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

44. **अपीलार्थी / अभियुक्त रामस्वरूप** की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील **अस्वीकार कर** खारिज की जाती है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ रेनवाल के द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 90 / 2020 उनवानी रामकुंवार बनाम रामस्वरूप में पारित निर्णय व दण्डादेश (अपीलार्थी / अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में 1 वर्ष के साधारण कारावास, राशि 5,00,000 / — रूपये के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्डादेश व अर्थदण्ड की राशि धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के आदेश) दिनांक 13.10.2023 की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार अभियुक्त का सजा पुष्टि वारण्ट बनाया जावें। अपीलार्थी / अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें।

विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को अविलंब लौटाया जावें।

(अरविंद कुमार जांगिड़)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या—1,
सांभर लेक, जिला जयपुर।

45. निर्णय आज दिनांक 15.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविंद कुमार जांगिड़)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या—1,
सांभर लेक, जिला जयपुर।